कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

कार्यालय, अधीक्षक जिला कारागार, बुलन्दशहर की ओर से प्राप्त पत्रॉक 834/यू0टी0/20 दिनॉक 18–08–2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि कोविड–19 के बढते संक्रमण के कारण जेल में हुए एन्टीजन टैस्ट के आधार पर काफी मात्रा में बन्दी संक्रमित पाये गये हैं। अतः विचारण एवं रिमाण्ड की कार्यवाही में बन्दियों की उपस्थिति वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्रॉक 1298/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad/Dated 28 July, 2020 के माध्यम से प्रस्तर 14 एवं 17 में न्यायालय की कार्यवाही वीडियो कॉफ्रेसिंग व JITSI सोफटवेयर से करने तथा इसके लिए अभियोजन एवं जेल प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये है। यद्यपि उपरोक्त निर्देश कन्टेन्मेन्ट जॉन के लिए है, परन्तु इन विषम परिस्थितियों में उक्त प्रकिया को अपनाया जाना ही एक मात्र विकल्प है।

कोविड–19 की महामारी चरमोत्कर्ष पर होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि जेल से बन्दियों की आवाजाही वर्तमान परिस्थितियों में पूर्णतः निषेध रखी जाये तथा पूर्व से उपलब्ध वीडियों कान्फ्रेसिंग की सुविधा का अनुकूलतम प्रयोग किया जाये, ताकि संक्रमण का प्रसार न हो सके।

जनपद न्यायालय में उपलब्ध वीडियों कान्फ्रेसिंग की सुविधा एवं जेल से उसकी कनेक्टिविटी की एक मात्र लाईन की उपलब्धता के कारण, एक समय में मात्र एक न्यायालय के समक्ष ही बन्दी प्रस्तुत हो सकते हैं। ऐसी दशा में संलग्न समय सारणी के अनुसार जेल से रिमाण्ड व विचारण से सम्बन्धित बन्दियों को न्यायालय के समक्ष वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति का समय निर्धारित किया जाता है।

बाह्य न्यायालय अनूपशहर, खुर्जा, ग्राम न्यायालय डिबाई व स्याना में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप JITSI App के माध्यम से बन्दियों की प्रस्तुति की प्रक्रिया अपनायी जाये। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर समन्वय स्थापित करें।

उपरोक्त आदेश के प्रकाश में यह भी निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के समक्ष बन्दियों को प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया यथासम्भव शत–प्रतिशत वीडियों कान्फ्रेसिंग व JITSI App के माध्यम से ही की जाये। विशेष कारण अथवा परिस्थितियों में बन्दियों की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु, अधोहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमति के उपरान्त ही निर्देशित किया जावें।

(डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश) 19.8.2020
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि

1– अधीक्षक जिला कारागार, बुलन्दशहर।
2– बाह्य न्यायालय, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।
3– बाह्य न्यायालय, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।
4– ग्राम न्यायालय स्याना, जिला बुलन्दशहर।
5– ग्राम न्यायालय डिबाई, जिला बुलन्दशहर।
6– समस्त अधिकारीगण।

न्यायालय में रिमाण्ड एवं विचारण से सम्बन्धित बन्दियों की न्यायालय के समक्ष वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु समय सारणी

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्राधिकृत अधिकारी	समय
1	1– जनपद न्यायाधीश, 2–विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0एक्ट	विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट	01.00 से 01.30
2	1– विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट 2– अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्याय कक्ष संख्या–1 3– अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्याय कक्ष संख्या–2 4– अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्याय कक्ष संख्या–3	विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट	02.00 से 02.30
3	विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट / एम0पी0, एम0 एल0 ए0 न्याय कक्ष संख्या–14		12.00 से 12.30
4	विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, न्याय कक्ष संख्या–3		02.30 से 03.00
5	विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट		12.30 से 01.00
6	1– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1 2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–9 3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–12 4– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–8 5– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–6 6– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–15 7– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–5 8– अन्य समस्त रिक्त न्यायालय	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,न्याय कक्ष संख्या–9	11.00 से 11.30
7	1– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या–1 2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या–2 3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या–3 4– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या–4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या–3	11.30 से 12.00

8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट		03.30 से 04.00
9	1– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2– अन्य समस्त रिक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	04.00 से 04.30
10	1– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम 2– प्रथम सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) 3– द्वितीय सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	03.00 से 03.30

1– द्वितीय कॉलम के न्यायालयों के सम्मुख, कॉलम तीन में दर्शित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य के लिए अधिकृत किये जाते है।

2–अधिकृत अधिकारी के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभारी अधिकारी इस कार्य का निष्पादन करेगें।

19.8.2020

जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।